भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1929

10 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष मेडिकल कॉलेजों में रैगिंग की घटनाएं

1929. श्री महेंद्र भट्ट:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश भर के राजकीय आयुष मेडिकल कॉलेजों में इस वर्ष रैगिंग के कुल कितने मामले संज्ञान में आए हैं;

(ख) क्या सरकार इन कॉलेजों में रैगिंग रोकने के लिए कोई नीति तैयार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): वर्तमान वर्ष के दौरान, देश भर के सरकारी आयुष मेडिकल कॉलेजों में रैगिंग के कुल पांच (5) मामले सामने आए हैं।

(ख) और (ग): आयुष मेडिकल कॉलेजों में रैगिंग को रोकने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम) और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच) समय-समय पर सभी आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और सोवा-रिग्पा कॉलेजों/संस्थानों को एंटी-रैगिंग प्रयासों को मजबूत करने और रैगिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी कर रहे हैं। इसके अलावा, एनसीआईएसएम ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के दिशानिर्देशों के अनुसार एंटी-रैगिंग समिति और एंटी-रैगिंग दस्ते के गठन के लिए विनियम भी अधिसूचित किए हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच) ने विनियम अधिसूचित किए हैं, जिसमें नए प्रवेशित स्नातक छात्रों के लिए अनिवार्य फाउंडेशन कार्यक्रम के दौरान "रैगिंग नीति पर प्रस्तुतीकरण और छात्रों के साथ संवादात्मक चर्चा" जैसी गतिविधियों को अनिवार्य किया है।

इसके अलावा, यूजीसी द्वारा बुनियादी उपायों, परामर्श और निगरानी उपायों और रैगिंग मुक्त परिसर बनाए रखने के संबंध में जारी दिशानिर्देशों और कार्य बिंदुओं को समय-समय पर संस्थानों को परिचालित किया जाता है। उक्त दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी कॉलेजों द्वारा एक एंटी-रैगिंग समिति का गठन किया जाना और शिकायत दर्ज करने के लिए स्थापित किए गए तंत्र का व्यापक प्रचार किया जाना आवश्यक है।
